मध्यप्रदेश विधान सभा

जून, 2018 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 25 जून, 2018 (आषाढ़ 4, 1940)

समय 11.00 बजे दिन.

1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्रीमती उर्मिला सिंह, भूतपूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश,
(2) श्री बालकवि बैरागी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री दशरथ जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री महाराज सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(5) श्री राजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(6) श्री हेमचंद यादव, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) डॉ. निर्मल हीरावत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(8) श्री एल.पी. शाही, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री, तथा
(9) श्री सिद्धप्पा न्यामागौड़ा, भूतपूर्व केन्द्रीय उपमंत्री.

2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे –

(क) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018),
(ख) मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018),
(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018),
(घ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018),
(ङ) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018)
(च) मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018), तथा
(छ) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018).

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि अधिनियम, 1956 की धारा 130-क की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 122-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन के नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन,

(ख) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के संपरीक्षित लेखों पर आधारित संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. का समेकित वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 एवं वर्ष 2013-2014 तथा

(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम,1956 की धारा 130-क की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 122-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों के संपरीक्षित लेखों पर आधारित संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र.का समेकित वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 तथा 2013-2014,

(घ) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2016-2017 के खण्ड I एवं II, तथा
(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2016-2017.

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार –

(क) दिनांक 13.01.2000 को भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान हुई घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन; तथा

(ख) दिनांक 30-31 अक्टूबर, 2016 की दरम्यानी रात को सेन्ट्रल जेल, भोपाल से 08 विचाराधीन बंदियों के जेल से भागने और दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में उक्त बंदियों की मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन,

पटल पर रखेंगे.

5. फरवरी-मार्च, 2018 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर खण्ड-13 का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. नियम 267 - क के अधीन फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में सदन में पढ़ी गईं शून्यकाल सूचनाएं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

7. राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश में मछली बीज उत्पादन एवं विक्रय में अनियमितता होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, प्रदेश में भू-राजस्व नक्शों का सुधार कार्य समय सीमा में न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री रामनिवास रावत, सभापति, लोक लेखा समिति का चार सौ बत्तीसवां से पांच सौ दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का इकतालीसवां से तिरपनवां प्रतिवेदन एवं प्रथम प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, कृषि विकास समिति का पंचम्, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

11. राज्यमंत्री सहकारिता का वक्तव्य.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, दिनांक 27 फरवरी, 2018 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 95 (क्रमांक 872) के उत्तर भाग (क) में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

12. वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 6 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विधेयक, 2018 (क्रमांक 7 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 10 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(8) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(9) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(10) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2018 (क्रमांक 15 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(11) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 16 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(12) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश भिक्षा वृत्ति निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(13) श्रीमती अर्चना चिटनिस, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

(14) श्रीमती माया सिंह, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 19 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

(15) श्रीमती माया सिंह, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 20 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगी.

(16) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2018 (क्रमांक 21 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(17) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 22 सन् 2018) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 जून, 2018